न्यायालय सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) श्रीमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी- बृजेश कुमार, आर.ए.एस.

वाद सं. - 21/2019

1. रिद्दपाल सिंह पुत्र स्व. भोलाराम जाति जाट उम्र 56 साल निवासी ढाणी सारण की तन ग्राम ढाणी करमली, कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज०)
— वादी

विरुद्ध

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
- प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि०)

उपस्थित- 1. श्री दीपक बाजिया
अभिभाषक वादी

निर्णय

दिनांक. 14/09/20

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम ढाणी करमली पटवार मण्डल कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर स्थित भूमि ख. नं. 785, 786, 787, 805, 809 कुल किता 5 कुल रकबा 4.50 हैक्टे. भूमि में 1/3 हिस्सा की खातेदारी तोफान पुत्र भोला के नाम दर्ज है जबकि खातेदार वादी का वास्तविक नाम रिद्धपाल सिंह पुत्र भोलाराम है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, घरेलू विद्युत कनेक्शन बिल आदि में ... दर्ज है परन्तु वादी का नाम रिद्दपाल सिंह पुत्र ...

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.24 11:43:32 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता के फौत होने पर विरासत के आधार पर वादी का नाम घर के बोलते नाम "तोफान पुत्र भोलू" वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया। राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओ में परेशानी होने तथा नाम दुरुस्ती करवाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम "तोफान पुत्र भोलू" के स्थान पर "रिद्धपालसिंह पुत्र भोलाराम" घोषित किया जाकर दुरुस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान किया जावें।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्जरजि० करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जरिये पत्रांक LR/2020/315 दि० 13-02-2020 रिपोर्ट एवं रिपोर्ट पटवारी प्राप्त हुयी। वादी ने वाद पत्र समर्थन में बतौर साक्ष्य मुख्य परीक्षण का शपथपत्र प्रस्तुत किया। बहस वकील वादी सुनी गयी।

बहस वकील वादी सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार, पटवारी, दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर [illegible] है कि वाद-

ायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2020.12.24 11:43:32 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी के गत खसरा नम्बर 468, 469, 473, 475, 482 कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादी के पिता भोला पुत्र रेका कौम जाट के नाम दर्ज थी जिसकी मृत्यु होने पर जरिये विरासत भूमि की खातेदारी तोफान, बन्ना, श्योपाल पु० भोला हि०ब० के नाम दर्ज हुयी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 785, 786, 787, 805, 809 कुल किता 5 कुल रकबा 4.50 हैक्टे० बने है जिसमें तोफान पु० भोला का हिस्सा 1/3 दर्ज है। वादी का यह कथन कि वादी रिद्दपाल सिंह को घर में बोलते नाम तोफान से पुकारा जाता था इस कारण राजस्व रेकार्ड में गलत नाम तोफान पु० भोला दर्ज हो गया जबकि मेरा वास्तविक नाम रिद्दपाल सिंह पु० भोलाराम है, के समर्थन में वादी ने दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, विद्युत उपभोग बिल, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा द्वारा जारी पहचान पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, की प्रतियां पेश की जिनमें वादी का नाम रिद्दपाल सिंह पु० भोलाराम अंकित है। रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार क्रमांक 315 दि. 13.02.2020 में भी स्पष्ट अंकित है कि तोफान पुत्र भोलू एवं [illegible] भोलाराम दोनों एक ही व्यक्ति है वाद[illegible] में बतौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2020.12.24 11:43:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

साक्ष्य वादी ने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी का सही नाम रिछपालसिंह पु० भोलाराम है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, साक्ष्य, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वाद वादी बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम दांतीकरमली पटवार मण्डल कल्या०पुरा तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) स्थित भूमि ख०नं० 785, 786, 787, 805, 809 कुल किता 5 कुल रकबा 4.50 हैक्टे० में दर्ज खातेदार "तोफान पुत्र भोलू हिस्सा 1/3" के स्थान पर "रिछपालसिंह पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/3" घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं, शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु पर्चा डिक्री मुर्तब हो।

निर्णय आज दिनांक 14/09/20 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(बृजेश कुमार)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.24 11:43:32 IST
Reason: SelfAttested

Page